



महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

क्र:एफ-15()/शोध/का.आ/मदसविवि/2026/

दिनांक : /02/2026

कार्यालय आदेश

विद्या परिषद् की 81वीं बैठक दिनांक 27 जनवरी, 2026 की मद संख्या 13 (3) में लिये गये निर्णय की अनुपालना में ऐसे शिक्षक जो कि स्नातक महाविद्यालय में कार्यरत हैं एवं पीएच.डी. हेतु गार्ड बनाये गये हैं और उनको पीएच. डी. प्रवेश -2025 के माध्यम से JRF उत्तीर्ण शोधार्थी आवंटित किये गये हैं, ऐसे शोधार्थी यू.जी.सी. द्वारा देय छात्रवृत्ति हेतु मान्य महाविद्यालय नहीं होने के कारण यू.जी.सी. पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हो पा रहे हैं जिससे उन्हें छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल पा रहा है ।

उक्त प्रकरण पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित स्नातक महाविद्यालय के शोध पर्यवेक्षक, शोधार्थी की उपस्थिति प्रमाणित कर प्राचार्य के माध्यम से उनके संभाग/नोडल, स्नातकोत्तर महाविद्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करे तथा उक्त शोधार्थियों की छात्रवृत्ति हेतु संभाग/नोडल, स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि उनके महाविद्यालय में शोधार्थियों का पंजीकरण करवा कर शोधार्थियों की छात्रवृत्ति की आगामी प्रक्रिया सुनिश्चित करे ।

S.S.
निदेशक (शोध)

क्र:एफ-15()/शोध/का.आ/मदसविवि/2026/ 32310-39

दिनांक : 17 /02/2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है ।

01. प्राचार्य, समस्त सम्बंधित महाविद्यालय, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर ।
02. वित्त नियंत्रक, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर ।
03. निजी सचिव-माननीय कुलगुरु महोदय, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर ।
04. निजी सहायक, कुलसचिव महोदय, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर ।
- ✓ 07. वेब एडमिनिस्ट्रेटर, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर को इस निवेदन के साथ कि वे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें ।

S. S. S.
अति. प्रशा. अधिकारी (शोध)